जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 02.03.2023**

आज दिनांक 02.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

चोरी के 01 अदद एलईडी टीवी के साथ वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्रीमती दीपांशी राठौर** के नेतृत्व में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक महुली **श्री संतोष कुमार मिश्र** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 75/2023 धारा 380/457 भादवि में वांछित अभियुक्त मोनू पुत्र मुराली निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगरनगर को 01 अदद चोरी के एलईडी टीवी के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की बढ़ोत्तरी करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

मोनू पुत्र मुराली निवासी नाथनगर थाना महुली जनपद संतकबीरनगरनगर।

बरामदगी का विवरण –

01 अदद चोरी के एलईडी टीवी

विवरण-

उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 01.03.2023 की रात्रि में श्री पवन कुमार शुक्ला पुत्र शिवभभूति शुक्ला निवासी नाथनगर के नाथनगर स्थित ढाबे से 01 अदद एलईडी टीवी चोरी कर लिया गया था जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना महुली पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आज दिनांक 02.03.2023 को पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम-

उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्र, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 संजय प्रसाद, का0 अरमान खान।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा घर में घुसकर मारपीट करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में **मिशन शक्ति अभियान** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्रीमती दीपांशी राठौर** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस** द्वारा मु0अ0स0 635/2022 धारा 323/504/506/452 भादवि व 3 (I) (द) (ध) एससी / एसटी एक्ट से संबन्धित अभियुक्त सोनू यादव पुत्र रामजीत यादव निवासी डुहिया कला थाना धनघटा जनपद सन्त कबीर नगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 राम आसरे यादव मय हमराह का0 प्रमोद शर्मा ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1483 द्वारा दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1483 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मंझरिया से इवेन्ट संख्या 12560 से कालर ने वाहन दुर्घटना में 01 व्यक्ति कमलेश पुत्र रामप्रित निवासी धुरियापार भरपुरवा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 05 मिनट में पहुंचकर घायल को एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रामसेवक प्रसाद, मु0आ0 अजीत कुमार यादव, मु0आ0 मदनपाल तिवारी, हो0चा0 राशिद अहमद।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 48 वाहनो से 36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 02.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 48 वाहनों से 36,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।